फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

लादूराम पुत्र बीजाराम बनाम भीखाराम पुत्र लादूराम

मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 132/20 सन् 2020

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगणों की पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थीगण मौके की स्थिति में परिवर्तन करने एवं बेचान करने पर उतारू है जिससे रोकें नहीं गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को आगामी पेशी [illegible] 2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम रावलगढ़ पटवार हल्का बलवा तहसील [illegible] जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1663 रकबा 02.10 बीघा, खसरा नम्बर 1915 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 1939/1 रकबा 10.03 बीघा, खसरा नम्बर 1944 रकबा 06.04 बीघा, खसरा नम्बर 1946 रकबा 05.16 बीघा, खसरा नम्बर 1949 रकबा 31.16 बीघा की भूमि में उभयपक्ष एक दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करें तथा न ही भूमि का विक्रय, भू-भाग दर्शाकर बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।

पत्रावली दिनांक 07.10.2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.23 18:53:51 IST
Reason: SelfAttested

10/20 पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन [illegible] किया गया है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार इकतरफा [illegible] दिनांक 11/11/2020 को पेश हो।

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/1/24	कार्यवाही स्थगित हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर हैं। पत्रावली [illegible] दिनांक 15/1/24 को पेश हो।
15/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 28/2/24 को पेश हो। स्थगन आदेश प्रचारी है।
28/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 27/3/24 को पेश हो। स्थगन आदेश प्रचारित है।
27/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 22/5/24 को पेश हो। स्थगन आदेश प्रचारित है।
21/5/24	मूल वाद शांतिपूर्ण विधि निस्तारित किया जा चुका है। मूल वाद के अभाव में पत्रावली गैरजरूरी होने से अभिलेख की जाती है। न्यायालय द्वारा का स्थगन आदेश दिनांक 2/9/20 को [illegible] 1663, 1915, 1939/1, 1944, 1946, 194[illegible] अग्रिम निर्णयों को [illegible] पत्रावली नस्ता से कम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai
Date: 2024.05.23 18:53:51 IS
Reason: SelfAttested